FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पुत्र छोगाराम 2. जगमालराम पुत्र छोगाराम 3. पूनमाराम पुत्र छोगाराम 4. हिरकनराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वरनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. मंगला पुत्र भींया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर 2. सिणगारीदेवी पत्नी बींजाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा तहसील सांचोर 3. सोना पुत्र भंया जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर 4. हीरोदेवी पत्नी चेतनराम 5. हीरोदेवी पत्नी पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मीरपुरा, सांचोर 6. शांतिदेवी पत्नी हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वरनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार गुड़ामालानी

मु0नं0......60 / 23

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
18.04.2023	प्रार्थीगण बाबूलाल वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रोशनलाल चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण मंगला वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम जम्भेश्वर नगर में खेत खसरा 377 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378 /2 रकबा 7.9318 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 304/1 रकबा 10.4571 हैक्टेयर की आई हुई है। खसरा नम्बर 377 व 378/2 में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 304/1 की भूमि में प्रार्थीगण 1, 3, 4 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 2/15 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त है, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने अपने हक हिस्सा अनुसार ढाणीयां, टांके आदि बनाकर काबिज काश्त हैं। कानूनी बंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि पर विप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर बिना बंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा अलग करबाकर शेष प्रतिवादीगण से बंटवाडा करवाने हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री. रोशनलाल चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं परन्तु भूमि पक्षकारान की खातेदारी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवाडा करवाऐ भूमि को बेचान करने एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कराने को आमादा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम जम्भेश्वर नगर में खेत खसरा 377 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 378 /2 रकबा 7.9318 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 304/1 रकबा 10.4571 हैक्टेयर की भूमि के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेशित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.06.2023 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not V
Digitally signed by
Meena
Date: 2026.01.13
Reason: SelfAtteste

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

26.07.23

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है, वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की ढाणियां, चारबाडे, टांके पीढियों के कदमी बने हुए हैं, विप्रार्थीगण भूमि को बेचान कर अजनबी व्यक्तियों से प्रार्थीगण का कब्जा हटाकर बेदखल करने पर आमादा है। तथा तर्क दिया है कि वाद/प्रार्थना–पत्र को निस्तारण करने में मौका रिपोर्ट सहायक व मददगार होगी इसलिये न्यायहित में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीशनर नियुक्त कर मगाई जाने के आदेश किये जावें। इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी किसी भी जोत में कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, रास्व प्रकरणों में मौका रिपोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती तथा प्रार्थीगण ने एक अलग से वाद वास्ते खातेदारी जोता के बंटवारा का प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण की ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है जिससे मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर न्याय निर्णय हेतु मौकारिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक हो, फलतः वाद पत्र में आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत न्यायालय का यह स्वविवेकाधिकार है यदि न्यायालय को निर्णय के लिये मौके की स्थिति का अथवा किसी मूल्यवान सम्पति के बाजार मूल्य अथ्वा तथ्यात्मक स्थिति को जानने के लिये मौका रिपोर्ट का होना आवश्यक है तो वह मूल वाद में मौका कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है लेकिन कब्जे के सम्बन्ध में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के लिये मौका कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना विधि सम्वत नहीं है। आगे कथन किया है कि प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त करके मौका रिपोर्ट मंगाना चाहता है जो न्यायालय द्वारा किसी पक्ष विशेष के हक में साक्ष्य एकत्रित करने की श्रेणी में आता है और न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है, आगे यह यह भी तर्क दिया कि जब वादग्रस्त भूमि की भौतिक स्थिति के समबन्ध में मौका रिपोर्ट आवश्यक हो यथा– वादग्रस्त भूमि मौके पर बंजर पडत पडी है या उस पर खेती की जा रही है अथवा यह कि वादग्रस्त भूमि परमौके पर मकान आदि बने हुए हैं या नहीं अथवा सिंचाई का कुआ बना हुआ है या नहीं अथवा मौके पर किस प्रजाति के तिने पेड खडे हैं आदिबिन्दुओं पर कमिश्नर रिपोर्ट मंगाई जा सकती है किन्तु इस बिन्दू पर मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई जा [illegible] पर खेती [illegible] पक्षकार की है अथवा मकान कुआ आदि किसने बनाया है अथवा पेड किस [illegible] हक व कब्जे में है इसके पीछे एक महत्वपूर्ण औचित्य [illegible] खेती, कुआ, मकान, पेड आदि किस पक्षकार के हैं यह [illegible] कमिश्नर अपनी रिपोर्ट [illegible] मौके पर उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को पूछकर [illegible] अंकित करना [illegible] अतिरिक्त साक्ष्य होने की तारीफ में आता है और कमिश्नर को ऐसी साक्ष्य दर्ज करने की शक्तियां नहीं होती है कोई व्यक्ति दुर्भावना से ही असली तथ्यों को छुपाकर भी किसी एक पक्षकार का नुकसान कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ व अन्य बनाम मैसर्स कृपाल इण्डस्ट्रीज के प्रकरण AIR 1998 RAJASTHAN 224 में यही मत प्रतिपादित किया है कि कब्जे सम्बन्धित साक्ष्य एकत्रित करने के लिये कमीशनर नियुक्त करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग है। वकील विप्रार्थी

तहसीलदार, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 19:31:08 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 6 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RRT 2011-12 (SUPP) पेज 84 राजस्थान हाई कोर्ट प्रेमाराम व अन्य बनाम श्रीमति नर्मदा कंवर, RRT 2017 (1) पेज 245 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर हरीश चन्द्र व अन्य बनाम किशनचन्द व अन्य, RRT 2017 (1) पेज 327 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर रामजीलाल बनाम विद्याधर, RRT 2015 (1) पेज 364 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर प्रभुदयाल कुम्हार व अन्य बनाम चौथा कुम्हार व अन्य, RRT 2014-15 (SUPP) पेज 470 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर मांगिया बनाम गुदडराम, RRT 2011-12 (SUPP) पेज 229 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर प्रकाश कौर बनाम भोलासिंह, RRT 2011-12 (SUPP) पेज 221 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर सरदार खान बनाम ओसमान आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि न्यायालय द्वारा किसी पक्ष विशेष के हक में साक्ष्य एकत्रित करने के लिये मौका कमश्निर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, अतः प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित मत के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी इस प्रकरण में स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई है, अतः प्रार्थीगण को निर्देश हैं कि आगामी तारीख पेशी से पूर्व शेष विप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 7 के सम्बन्ध रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश करें। आइन्दा पत्रावली दिनांक 04.08.2023 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय

03/9/2025 पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक : 7801 दिनांक 28.08.25 द्वारा निगरानी विड्रॉल खारिज किये जाने से नियमित सुनवाई हेतु पेश हुई पत्रावली क्रम नम्बर पर ली जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना-पत्र वास्ते आवेदन विड्रो करने का पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना एवं गांव के मौजिज लोगों की समझाइश [illegible] आगे नहीं चलाना चाहते हैं। [illegible] किये जाने की अनुमति [illegible] है। चूंकि प्रार्थी एवं प्रार्थी [illegible] उपस्थित न्यायालय होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ है। अतः उक्त आवेदन जरिये विड्रॉल खारिज किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दि० 18.04.2023 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rodmalu (प्रार्थी/अधिवक्ता)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 19:31:08 IST
Reason: SelfAttested